न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 01/2019
जीसीएमएस नम्बर : 2019/00001

अपीलाण्ट

1. कालूराम पुत्र देवाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी

बनाम रेस्पोडेन्ट

1. तहसीलदार सोजत तहसील सोजत
2. देवीसिंह पुत्र भीकसिंह
3. पेपसिंह पुत्र भीकसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चारणों की ढाणी, जालमनगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
4. पुखराम पुत्र मगाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति –
श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना, सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री भरत नाथ, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20-2-2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार, सोजत द्वारा ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 330 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.2007 को अपास्त कराने का निवेदन किया, साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 28 रकबा 3.37 हैक्टेयर की भूमि में अपीलाण्ट देवाराम का 1/2 हिस्सा तथा मिश्रीदेवी पत्नी शंकरलाल का 1/2 हिस्सा निहित था। अपीलाण्ट एवं सह खातेदार मिश्रीदेवी द्वारा उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवाया, जिसके पश्चात मिश्रीदेवी के पक्ष में खसरा नम्बर 28 रकबा 0.73 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 28/3 रकबा 0.9550 हैक्टेयर कुल 1.6850 हैक्टेयर भूमि तथा अपीलाण्ट देवाराम के पक्ष में खसरा नम्बर 28/1 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 28/4 रकबा 0.9350 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई। अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसार नम्बर 28/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर भूमि गणपतलाल एवं कालूराम का बहिस्सा बराबर बेचान कर दिया तथा इस खसरे में से 0.03 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के नाम शेष रही। पटवारी हल्का द्वारा उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया, उसमें खसरा नम्बर 28/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 28/4 में से 0.24 हैक्टेयर भूमि क्रेतागण गणपतलाल व कालूराम के नाम दर्ज कर दी, जिसका नया खसार नम्बर 28/420 रकबा 0.24 हैक्टेयर तहरीर किया गया तथा शेष खाता बदस्तूर रखा। इसके पश्चात इसी बेचान दस्तावेज के आधार पर एक और नामान्तरकरण संख्या 429 दायर किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 28/2 में से 0.24 हैक्टेयर भूमि क्रेता गणपतलाल व कालूराम के नाम दर्ज करते हुए नया खसरा नम्बर 28/2मी रकबा 0.24 हैक्टेयर तहरीर किया

अति. जिला कलक्टर, पाली

गया तथा खसरा नम्बर 28/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/4 रकबा 0.6950 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज की गई। इसके पश्चात उक्त भूमियों का सिलसिलेवार बेचान हस्तान्तरण हुआ, जिसके आधार पर जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। चूंकि जैर अपील विवादित आराजी का प्रथम नामान्तरकरण संख्या 330 ही अपीलाण्ट के अधिकारों के विपरित एवं बेचान रजिस्ट्री के विरूद्ध जाते हुए दायर किया गया है, जिससे अपीलाण्ट व्यथित हुआ हैं। अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड में दायर प्रविष्ठियों की जानकारी तब हुई, जब अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 28/4 की जमाबन्दी की प्रतियां प्राप्त की। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्धारित समयावधि में यह अपील प्रस्तुत की हैं। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाते हुए अपील को स्वीकार करवाने एवं जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करवाते हुए खसरा नम्बर 28/420 रकबा 0.24 हैक्टेयर को राजस्व रेकर्ड से विलोपित किया जाकर खसरा नम्बर 28/4 का रकबा 0.6950 हैक्टेयर के स्थान पर 0.9350 हैक्टेयर दर्ज करवाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा वकील अपीलाण्ट के कथनों का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करवाने एवं माफिक अनुतोष अपील का निस्तारण करवाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा जैर अपील नामान्तरकरण एवं सम्बन्धित दस्तावेजात् का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण पर दिनांक 13.04.2007 को निर्णय पारित किया हैं। उक्त निर्णय पारित किये जाने के 11 वर्ष 8 माह के पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रकरण में निहित विधिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए देरी का शमन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

गुणावगुण पर प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 28 रकबा 3.37 हैक्टेयर भूमि मिश्रीदेवी पत्नी शंकरलाल 1/2, देवाराम पुत्र सुजाराम 1/2 कौम माली सा0 देह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 28.11.2006 के जरिये उक्त भूमि में से मिश्रीदेवी पत्नी शंकरलाल के पक्ष में खसरा नम्बर 28 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/3 रकबा 0.9550 हैक्टेयर दर्ज किया गया तथा अपीलाण्ट देवाराम पुत्र सुजाराम के पक्ष में खसरा नम्बर 28/1 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/4 रकबा 0.9350 हैक्टेयर दर्ज किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 16.01.2007 को खसरा नम्बर 28/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से 0.2400 हैक्टेयर भूमि गणपतलाल पुत्र देवाराम एवं कालूराम पुत्र देवाराम के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये बेचान किया गया। उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दो नामान्तरकरण दायर हुए है, जिसमें प्रथम नामान्तरकरण संख्या 330 दिनांक 13.04.2007 को तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें बेचान दस्तावेज के आधार पर नया खसरा नम्बर 28/420 तहरीर करते हुए क्रेता गणपतलाल पुत्र देवाराम 1/2, कालूराम पुत्र देवाराम 1/2 कौम माली सा0 देह खातेदार अंकित किया गया है तथा शेष खाता बदस्तूर अंकित हैं। इस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दूसरा नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 24.06.2010 को तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 28/2 का नया खसरा नम्बर तहरीर करते हुए नया खसरा नम्बर 28/2मी रकबा 0.24 हैक्टेयर की भूमि गणपतलाल पुत्र देवाराम 1/2, कालूराम पुत्र देवाराम 1/2 कौम माली सा0 देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 28/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28/4 रकबा 0.06950 हैक्टेयर भूमि देवाराम पुत्र सुजाराम कौम माली सा0देह खातेदार दर्ज किया गया हैं,

अति. जिला कलक्टर, पाली

जबकि पूर्व नामान्तरकरण, जिसे अपील में प्रश्नगत किया गया है, में हुई प्रविष्ठि के आधार पर परीक्षण किया जाता है, तो स्थिति यह प्रकट होती है कि जैर अपील नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 28/4 में से 0.24 हैक्टेयर भूमि को कम किया जाकर नवीन खसरा नम्बर 28/420 क्रेतागण के नाम दायर किया गया, इसके पश्चात उसी बेचान दस्तावेज के मुताबिक दूसरा नामान्तरकरण संख्या 429 के जरिये खसरा नम्बर 28/2 में से नवीन खसरा नम्बर 28/2 मी. तहरीर किया गया, जो हाल खसरा नम्बर 28/7 के रूप में क्रेतागण के नाम दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 28/2 में से 0.24 हैक्टेयर रकबा कम किया जाकर मूल खसरा नम्बर 28/2 का रकबा 0.03 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार क्रेतागण गणतपलाल एवं कालूराम द्वारा 0.24 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई एवं राजस्व रेकर्ड में दो बार नामान्तरकरण दायर होने के कारण खसरा नम्बर 28/420 एवं खसरा नम्बर 28/7, दोनों भूमियाँ क्रेतागण के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर अपील नामान्तरकरण बेचान दस्तावेज के विपरित दायर किये जाने के कारण कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 330 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.04.2007 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में बेचान दस्तावेज क्रमांक 2006002912 दिनांक 16.01.2007 एवं उसके पश्चात प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में निष्पादित बेचान दस्तावेजात् के आधार पर जांच कर क्षेत्रफल का मिलान करते हुए हितबद्ध व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ मूल नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20-2-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली